भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 30

दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान को विशेष सहायता

30. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुरः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) के अंतर्गत सभी राज्यों विशिष्ट रूप से राजस्थान को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता के रूप में जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, किसी राज्य को विशेष सहायता स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, राज्य अपने कार्य निष्पादन और उत्तम व्यय क्षमता के आधार पर कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध अव्ययित निधियों से निधियों की अतिरिक्त किस्तें प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में जारी की जाती हैं। यह मंत्रालय राज्यों को, खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करने और सोलर पंप जैसी विशेष स्कीमों के लिए प्रोत्साहन के रूप में सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, वर्ष 2016-17 में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को कवर करने वाली विभिन्न चालू स्कीमों के लिए, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) के अंतर्गत 814.13 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राजस्थान सहित राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता के रूप में जारी निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय को अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें आने वाले 10 वर्षों के दौरान 11,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के विशेष सहायता पैकेज, 37 जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 28881 करोड़ रुपए की सहायता हेतु अनुरोध शामिल है। एनआरडीडब्ल्यूपी से इतनी बड़ी राशि का निधियन व्यवहार्य नहीं है। तथापि, विस्तृत योजना/परियोजना रिपोर्ट और राज्य ने इस राशि का निर्णय कैसे लिया इसका ब्यौरा राज्य से अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

				अनुलग्नक
दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक				
				(करोड़ रुपए में)
क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17 के दौरान जारी कुल निधि जिसमें अगले दो कॉलम की राशि शामिल है**	**एनडब्ल्यूक्यूएसएम के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियां**	**मार्च, 2017 में राज्य को अतिरिक्त किस्त के रूप में जारी निधि**
1	अंडमान एवं निकोबार	0.22	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	204.00	0.12	26.62
3	अरुणाचल प्रदेश	110.84	0.00	10.35
4	असम	348.06	45.16	1.56
5	बिहार	373.81	20.97	28.31
6	छत्तीसगढ़	84.28	0.02	18.79
7	गोवा	1.19	0.00	0.00
8	गुजरात	278.50	0.00	2.08
9	हरियाणा	111.53	2.01	0.52
10	हिमाचल प्रदेश	83.31	0.00	20.00
11	जम्मू एवं कश्मीर	225.14	0.00	0.00
12	झारखंड	131.74	1.07	21.11
13	कर्नाटक	343.72	8.28	2.08
14	केरल	75.22	2.31	18.00
15	मध्य प्रदेश	232.26	3.15	32.29
16	महाराष्ट्र	404.45	14.83	2.60
17	मणिपुर	40.61	0.00	0.00
18	मेघालय	40.42	0.00	0.00
19	मिजोरम	24.49	0.00	0.00
20	नागालैंड	36.84	0.00	0.00
21	ओडिशा	134.96	1.12	23.81
22	पुडुचेरी	0.29	0.00	0.00
23	पंजाब	51.89	0.00	6.09
24	राजस्थान	1072.92	490.64	9.36
25	सिक्किम	19.42	0.00	5.00
26	तमिलनाडु	174.68	0.00	19.49
27	तेलंगाना	133.09	12.63	17.27
28	त्रिपुरा	43.73	0.00	4.90
29	उत्तर प्रदेश	621.95	26.31	7.28
30	उत्तराखंड	88.19	0.00	0.00
31	पश्चिमी बंगाल	440.15	185.51	2.60
कुल		**5931.90**	**814.13**	**280.11**

(स्रोत: फार्मेट डी -1 एन. पी)